

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्या: 15/2016

दायर दिनांक: 21.03.2016

निर्णय दिनांक 21.11.2025

—: अनवान :-

श्रीमती नर्बदा धर्मपत्नी श्री राजुलाल जी पिता श्री लीलाधर जी, जाति माली, उम्र 55 वर्ष, निवासी नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी, जाति माली, आयु करीब 36 वर्ष निवासी भलावतों का खेड़ा नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
2. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री भरत कुमार जी जोशी, आयु करीब 44 वर्ष, निवासी भलावतों का खेड़ा नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
3. श्री महेन्द्र पिता श्री ओमप्रकाश जी, जाति माली, आयु नाबालिग बवलियत माता श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जी निवासी भलावतों का खेड़ा जाति माली, आयु करीब 36 वर्ष नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा।

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरणकरण संख्या 508 दिनांक 15/01/2016 द्वारा तहसीलदार साहब नाथद्वारा जिला राजसमन्द

उपस्थित :-

1. श्री ईश्वर सिंह सामोता, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री संपत लाल लदढा, अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1,2 व 3
3. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंड संख्या 04

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 15.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता लीलाधर जी द्वारा दिनांक 16.07.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 133 में पृष्ठ संख्या 166,



(Handwritten signature)

167, 168 बुक संख्या कम संख्या 2015000865, पर एक पंजिकृत दान पत्र पंजिबद्ध किया गया जिसमें लीलाधर ने अपने पैतृक सम्पत्ति जो राजस्व गांव भलावतों का खेड़ा पटवार हल्का नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 364 कुल किता 1 रकबा 00-08-19 एवं आराजी नम्बर 381, 382, 383, 387, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 02-04 दो बीघा चार बिश्वा को दान की और उसके आधार पर लीला देवी एवं महेन्द्र के पक्ष में आराजी नम्बर 364 में से 1/4 हिस्से का नामान्तरण हुआ और लीला देवी एवं महेन्द्र ने अपने 1/4 हिस्सा दिनांक 13.01.2016 को रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी और उस आधार पर तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा उक्त जमना देवी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जिससे दुखी पीड़ीत एवं क्षुब्ध होकर यह अपील इन आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। लीलाधर द्वारा जो दान पत्र निष्पादित किया गया है वह दान पत्र पैतृक सम्पत्ति का होने के कारण ऐसा दान पत्र आरम्भसे ही शून्य है और ऐसा दस्तावेज वोईड है और ऐसे दस्तावेज से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये है। यह दान पत्र लिस पेन्डेन्सी से दुषित होने के कारण ऐसे दान पत्र से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है फिर भी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को अवैध दान पत्र के आधार पर विक्रय कर दिया। उक्त दान पत्र में अंकित आराजियात में अपीलाण्ट का जन्म से ही अधिकार नियत होने के कारण दान पत्र में अंकित आराजियात को लीलाधर को दान करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण भी ऐसे दान पत्र से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया दान पत्र आरम्भ से ही शून्य होने के कारण ऐसे दान पत्र से प्राप्त अधिकार से किया गया विक्रय विलेख भी शून्य है जिससे रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के पक्ष में खोला गया नामान्तरण भी निरस्त योग्य है। रेस्पोजेन्ट संख्या 3 महेन्द्र कुमार नाबालिग है उसके द्वारा उसकी माता श्रीमती लीला देवी द्वारा जो विक्रय पत्र बिगर न्यायालय की स्वीकृति के विक्रय विलेख निष्पादित किया गया जो आरम्भ से ही शून्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा जो नामान्तरण संख्या 508 दिनांक 15.01.2016 निरस्त फरमाया जावें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोजेन्ट संख्या 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लड्डा ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई।



Ash

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता लीलाधर जी द्वारा दिनांक 16.07.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 133 में पृष्ठ संख्या 166 167 168 बुक संख्या कम संख्या 2015000865, पर एक पंजिकृत दान पत्र पंजिबद्ध किया गया जिसमें लीलाधर ने अपने पैतृक सम्पत्ति जो राजस्व गांव भलावतों का खेड़ा पटवार हल्का नाथद्वारा में स्थित खसरा संख्या 364 कुल किता 1 रकबा 00-08-19 एवं आराजी नम्बर 381, 382, 383, 387, 388 कुल किता 5 कुल रकबा 02-04 दो बीघा चार बिश्वा को दान की और उसके आधार पर लीला देवी एवं महेन्द्र के पक्ष में आराजी नम्बर 364 में से 1/4 हिस्से का नामान्तरण हुआ और लीला देवी एवं महेन्द्र ने अपने 1/4 हिस्सा दिनांक 13.01.2016 को रेस्पोजेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी और उस आधार पर तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा उक्त जमना देवी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। लीलाधर द्वारा जो दान पत्र निष्पादित किया गया है वह दान पत्र पैतृक सम्पत्ति का होने के कारण ऐसा दान पत्र आरम्भ से ही शुन्य है और ऐसा दस्तावेज वोर्ड है और ऐसे दस्तावेज से रेस्पोजेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये है। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ हैं और उसमें तहसीलदार नाथद्वारा स्वयं एक पक्षकार होते हुए भी उक्त आक्षेपित नामान्तरण खोला गया जो आरम्भ से ही शुन्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब नाथद्वारा द्वारा जो नामान्तरण संख्या 508 दिनांक 15.01.2016 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1, 2 व 3 ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किया कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। किसी भी पंजीबद्ध विक्रय पत्र की वैधता का निस्तारण सिविल न्यायालय करेगा। तथा माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन केवल पार्टशन सुट डीड के क्रियान्विती पर था, प्रोपर्टी के अंतरण पर नहीं था। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।




deh

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकृत दान पत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरण संख्या 508 दिनांक 15.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत नजीरो का भी अध्ययन किया गया। दान पत्र की विधिक वैधता के संबंध में भी अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई। इस संबंध में कोई टिप्पणी किये बगैर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.01.2016 को विवादित सम्पत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 14.11.2006 को एक स्थगन आदेश पारित किया गया था। जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि *Meanwhile, the final decree shall not be prepared and the status-quo as it exists today regarding revenue entries in respect of property in question shall be maintained.* तथा इसी स्थगन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 03.11.2008 को Interim order dated 14-11-2006 is confirmed to last till Decision of this Appeal. और इस रीट याचिका में तहसीलदार स्वयं एक पक्षकार था और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा उक्त नामान्तरण खोला गया, जो नहीं खोला जाना चाहिए था। अतः उक्त नामान्तरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 508 दिनांक 15.01.2016 को अपास्त किया जाता है।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

